



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 02 अप्रैल, 2026 ई०

चैत्र 12, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

संख्या- 178 / XVII-B-1 / 2026-07(27)2014

देहरादून, 02 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

सा0प0नि0-02

श्री राज्यपाल, वक्फ अधिनियम, 1995 (यथा-संशोधित) की धारा-83 के अन्तर्गत मा० वक्फ अधिकरण, गढ़वाल मण्डल, देहरादून में द्वितीय सदस्य के चयन हेतु उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड नियम 2017 के नियम 65 (3) में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या-507 / XVII-B-1 / 2024-07 (27)2014, दिनांक 13, अगस्त 2024 द्वारा प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा प्रदत्त संस्तुति के क्रम में श्री नदीम जैदीपुत्र श्री महताब अली जैदी, को मा० वक्फ अधिकरण गढ़वाल मण्डल देहरादून में द्वितीय सदस्य के रूप में नामित किए जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पद पर श्री जैदी का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड नियम 2017 के नियम 65 (4) के अनुसार 03 वर्ष अथवा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अन्तर्गत नये वक्फ बोर्ड नियम (प्रस्तावित) प्रख्यापित होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि तक होगी।

मा० वक्फ अधिकरण गढ़वाल मण्डल, देहरादून में नामित द्वितीय सदस्य हेतु वेतन भत्तों के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

आज्ञा से,

डॉ० पराग मधुकर धकाते,
विशेष सचिव।